india.gov.in
INDIA

झारखण्ड सरकार

परिवहन आयुक्त कार्यालय

एफ.एफ.पी. बिल्डिंग, एच.ई. सी. कैंपस, धुर्वा, राँची।

सूचना

सोसाइटी फॉर अवेयरनेस एण्ड डेवेलमेंट बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में सिविल रिट याचिका सं.- 7769 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1988 की धारा-129 और केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम -138 (4) (च) के साथ पठित प्रावधानों के कारगर कार्यान्वयन का निर्देश दिया गया है तथा इन प्रावधानों का उल्लघंन करने वाले किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के विरूद्ध विधि के अनुसार उचित कार्रवाई प्रारंभ करने का भी निदेश दिया गया है।

2. **केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा** -129 में यह प्रावधन है कि सार्वजनिक स्थल पर किसी भी वर्ग अथवा विवरण की मोटर साईकल चलाने अथवा उसपर बैठने वाला (साईड कार के भिन्न) प्रत्येक भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप सुरक्षा हेडगियर पहनेगा। यह प्रावधान पगड़ी पहनने वाले सिख तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा यथाउपबंधित ऐसे अपवादों के संबंध में लागू नहीं होगा।

3- **केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली**, 1989 **के नियम**-138 (4) (च) में यह प्रावधान है कि दुपहिया वाहन की खरीद के समय दुपहिया वाहन का विनिर्माता भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विहित मानकों के अनुरूप सुरक्षा हेडगियर प्रदान करेगा। ये शर्ते धारा-129 और संबंधित राज्य सरकार द्वारा उसके तहत बनाये गये नियमों के संदर्भ में छूट प्राप्त व्यक्तियों के वर्गों पर लागू नहीं होगी।

4- अतः सभी दुपहिया वाहन के चालकों को यह निदेश जाता है कि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-129 एवं केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम-138 (4) (च) की अपेक्षाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जाये। उपरोक्त मानक के सुरक्षा हेडगियर (हेलमेट) के बिना दुपहिआ वाहन चलाने अथवा उसपर बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध पकड़े जाने पर नियमानुसार सख्त दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।

डॉ नितीन मदन कुलकर्णी
परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)